



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त
हरिद्वार, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uaueexam@gmail.com

पत्रांक : 1243 /उ0आ0वि0/परीक्षा/2020-21

दिनांक 19 सितम्बर 2020

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरो/निजी संस्थानों में बी0ए0एम0एस0 प्रथम व्यवसायिक (बैच 2018) एवं तृतीय व्यवसायिक (बैच 2016) की मुख्य तथा E.B.P (Eligible for Back Paper) छात्र/छात्राओं की प्रथम व्यवसायिक की पूरक परीक्षाओं का आयोजन निम्नलिखित तिथियों से कराई जायेगी:-

बी0ए0एम0एस0 प्रथम व्यवसायिक बैच 2018 की मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु कार्यक्रम निम्नवत है:-

समय :- पूर्वाह्न: 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक

क्र०स०	विषय	प्रश्न-पत्र	सैद्धान्तिक परीक्षा	
			दिनांक	दिवस
1.	पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास	प्रथम प्रश्न-पत्र	10.10.2020	शनिवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	13.10.2020	मंगलवार
2.	मौलिक सिद्धान्त एवं अष्टांग हृदय	-	15.10.2020	वृहस्पतिवार
3.	क्रिया-शारीर	प्रथम प्रश्न-पत्र	17.10.2020	शनिवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	20.10.2020	मंगलवार
4.	रचना-शारीर	प्रथम प्रश्न-पत्र	22.10.2020	वृहस्पतिवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	24.10.2020	शनिवार
5.	संस्कृत	-	27.10.2020	मंगलवार

बी0ए0एम0एस0 तृतीय व्यवसायिक बैच 2016 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु कार्यक्रम निम्नवत है:-

समय :- पूर्वाह्न: 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक

क्र०स०	विषय	प्रश्न-पत्र	सैद्धान्तिक परीक्षा	
			दिनांक	दिवस
1.	कौम्यारभृत्य	-	12.10.2020	सोमवार
2.	स्वस्थवृत्त	प्रथम प्रश्न-पत्र	14.10.2020	बुधवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	16.10.2020	शुक्रवार
3.	प्रसूति तंत्र एव स्त्री रोग	प्रथम प्रश्न-पत्र	19.10.2020	सोमवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	21.10.2020	बुधवार
4.	चरक संहिता (उत्तरार्द्ध)	-	23.10.2020	शुक्रवार
5.	अगदतन्त्र	-	26.10.2020	सोमवार

परीक्षा सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश:-

- उक्त परीक्षाओं में जिन परीक्षार्थियों द्वारा अपने परीक्षा फार्म एवं शुल्क जमा नहीं किया है, केवल वही परीक्षार्थी शुल्क एवं परीक्षा फार्म दिनांक 05.10.2020 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें तथा जिन परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फार्म एवं शुल्क विश्वविद्यालय या परिसर को उपलब्ध करा रखा है उन परीक्षार्थियों उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है, केवल उन परीक्षार्थियों की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरो/निजी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधीक्षक होंगे एवं सम्बन्धित संस्थान एवं परिसर उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र होंगे।
3. केन्द्र अधीक्षक/पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रश्नगत परीक्षा नकल विहीन तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित कराई जाये।
4. कक्ष निरीक्षको द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परीक्षार्थियों ने उत्तर-पुस्तिका में कोई निशान/अनुकमांक/कोई अन्य सामग्री आदि न अंकित की /चस्पा की हो।
5. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोविड-19 हेतु जारी दिशा निर्देशो का पालन कड़ाई किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

प्रो० (डॉ०) सुरेश चौबे
कुलसचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. संकायाध्यक्ष (आयुर्वेद) अवगतार्थ प्रस्तुत।
3. सम्बन्धित संस्थानों एवं परिसरों के केन्द्र अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. एम0आई0एस0 प्रभारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त समय-सारणी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलोड करने एवं परिसर/संस्थानों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु।
5. गार्ड फाईल।

प्रो० (डॉ०) सुरेश चौबे
कुलसचिव।